रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1816] नई दिल्ली, सोमवार, मई 21, 2018/वैशाख 31, 1940
No. 1816] NEW DELHI, MONDAY, MAY 21, 2018/VAISAKHA 31, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2018

का.आ. 2009(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 465 (अ), तारीख 26 अप्रैल, 2002 द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 0.000 कि.मी. से 231.600 कि.मी. (मदुरै – कन्याकुमारी सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा गया है) को सौंपा है;

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्डों, स्थायी पुलों, बाइपासों और सुरंगों के उपयोग के लिए शुल्क के संग्रहण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 5 दिसम्बर 2008 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 बनाए हैं और उनमें सा.का.नि. 950 (अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 756 (अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2011, सा.का.नि. 778 (अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2013, सा.का.नि. 26 (अ), तारीख 16 जनवरी, 2014, सा.का.नि. 831 (अ), तारीख 21 नवम्बर, 2014, सा.का.नि. 220 (अ), तारीख 23 मार्च, 2015, सा.का.नि. 585 (अ), तारीख 08 जून, 2016, सा.का.नि. 1114(अ), तारीख 02 दिसम्बर 2016 और सा.का.नि. 248(अ), तारीख 14 मार्च, 2017 द्वारा संशोधन किए हैं;

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत

सरकार की अधिसूचना का.आ. संख्या 2606 (अ) तारीख 26 अगस्त, 2013 द्वारा रियायतग्राही मैसर्स रायमा टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 410, बूमरैंग, चांदीवली फार्म रोड, चांदीवली स्टूडियो के निकट, अंधेरी ईस्ट, मुंबई – 400072, महाराष्ट्र, भारत (जिसे इसमें इसके पश्चात ''रियायतग्राही'' कहा गया है) को तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के मदुरै – तिरूनेलवेली – पानागुडी – कन्याकुमारी सेक्शन को 0.000 कि.मी. से 231.600 कि.मी. (नया चैनेज 0.000 कि.मी. – 243.170 कि.मी.) तक प्रचालन, अनुरक्षण और हस्तांतरण (ओएमटी) आधार पर प्रचालन और अनुरक्षण के लिए प्राधिकृत किया है (प्राधिकरण ने पुष्टि की है कि बाइपासों, पुनर्संरेखणों, इत्यादि के कारण मध्यवर्ती लंबाई में बढ़ोतरी हुई है और अब नया समाप्ति चैनेज 243.170 कि.मी. है। तथापि, सौंपे गए खंड (जिसे इसमें इसके पश्चात ''उक्त खण्ड'' कहा गया है) का वास्तविक आरंभ और अंत यथावत है)

और यतः, भाराराप्रा ने ओएमटी रियायतग्राही से प्रयोक्ताशुल्क संग्रहण का कार्य 25.08.2016 (08.00 बजे) से अपने हाथ में ले लिया है। रियायतग्राही द्वारा टोलिंग के निलम्बर उपरांत, भाराराप्रा रियायत करार/शुल्क अधिसूचना का.आ. संख्या 2606 (अ) तारीख 26.08.2013 के प्रावधानों के अनुसार प्रयोक्ताशुल्क संग्रहण का कार्य जारी रखे हुए है। तथापि, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात भाराराप्रा इस शुल्क अधिसूचना के अधीन प्रावधानों के अनुसार प्रयोक्ताशुल्क संग्रहण करेगा।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, समय समय पर यथा-संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना का.आ. संख्या 2606 (अ) तारीख 26.08.2013 का अधिक्रमण करते हुए मदुरै – तिरूनेलवेली – पानागुडी – कन्याकुमारी सेक्शन 0.000 कि.मी. से 231.600 कि.मी. (नया चैनेज 0.000 कि.मी. – 243.170 कि.मी.) तक (प्राधिकरण ने पुष्टि की है कि बाइपासों, पुनर्संरेखणों, इत्यादि के कारण मध्यवर्ती लंबाई में बढ़ोतरी हुई है और अब नया समाप्ति चैनेज 243.170 कि.मी. है (जिसे इसमें इसके पश्चात ''उक्त खण्ड'' कहा गया है) के चार लेन के खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों पर सड़क की निवल लम्बाई 176.67 कि.मी. और 24.85 कि.मी. (जिसकी लम्बाई 2.485 कि.मी. है) की संरचना (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) के लिए सारिणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर के 100% की दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात ''आधार दर'' कहा गया है) और 10 करोड़ रूपए से अधिक लागत के बाइपासों जिनकी कुल लम्बाई 64.015 कि.मी. है के उपयोग के लिए आधार दर के 150% की दर पर शुल्क उदग्रहीत करती है और प्राधिकरण को कार्यान्वयन की वास्तविक तारीख अथवा इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने पर, जो भी पहले हो, से अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है;

सारिणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगाः

क्रम सं.	शुल्क प्लाजा का अवस्थान (डिजाइन चैनेज)	प्रभावी सेक्शन (डिजाइन चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
1.	रारा-7 पर 18.652 कि.मी. पर मदुरै जिले में कप्पालूर गांव के निकट।	रारा-7 के 0.000 कि.मी. से 52.300 कि.मी.	31.599 (60 मीटर से अधिक 0.506 कि.मी. लम्बाई की संरचनाओं और 10 करोड़ से अधिक लागत के 20.195 कि.मी. निवल लम्बाई के बाइपास को छोड़कर)	ऊपर सारिणी – 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100 %
2.	रारा-7 पर 74.930 कि.मी. पर विरदू नगर जिले में एत्तूरवत्तम गांव के निकट।	रारा-7 के 52.300 कि.मी. से 116.500 कि.मी.	61.918 (60 मीटर से अधिक 0.482 कि.मी. लम्बाई की संरचनाओं और 10 करोड़ से अधिक लागत के 1.80 कि.मी. निवल लम्बाई के बाइपास को छोड़कर)	ऊपर सारिणी – 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100 %
3.	रारा-7 पर 125.350 कि.मी. पर तूतिकोरन जिले में सलाईपुदूर गांव के निकट।	रारा-7 के 116.500 कि.मी. से 180.000 कि.मी.	39.803 (60 मीटर से अधिक 0.847 कि.मी. लम्बाई की संरचनाओं और 10 करोड़ से अधिक लागत के 22.85 कि.मी. निवल लम्बाई के बाइपास को छोड़कर)	ऊपर सारिणी – 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100 %
4.	रारा-7 पर 185.387 कि.मी. पर तिरूनेलवेली जिले में नांगुनेरी गांव के निकट।	रारा-7 के 180.000 कि.मी. से 243.170 कि.मी.	43.35 (60 मीटर से अधिक 0.650 कि.मी. लम्बाई की संरचनाओं और 10 करोड़ से अधिक लागत के 19.07 कि.मी. निवल लम्बाई के बाइपास को छोड़कर)	ऊपर सारिणी – 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100 %

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों), जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए अथवा अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास (बाइपासों) की निवल लम्बाई हेतु, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

क्रम सं.	शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	बाइपास का नाम	बाइपास की लम्बाई (कि.मी. में) और चैनेज (कि.मी. में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
			लम्बाई (कि.मी. में)	
1.	रारा-7 पर 18.652 कि.मी. पर मदुरै जिले में कप्पालूर गांव के निकट।	मदुरै बाइपास बीएसएम सेक्शन से 426.600 किमी से शुरू होकर एम.के. सेक्शन के साथ 9.100 कि.मी. (पुराना चैनेज) पर मिलते हुए /0.000 से शुरू होकर और 14.350 कि.मी. (डिज़ाइन चैनेज) पर मिलते हुए	13.945# (60 मीटर से अधिक लम्बाई की संरचना को छोड़कर)	ऊपर सारिणी – 1 में उल्लिखित आधार दरों का 150 %
		थिरूमंगलम बाइपास 9.100 किमी से शुरू होकर 14.850 कि.मी. (पुराना चैनेज) पर मिलते हुए /20.100 कि.मी. से शुरू होकर और 26.350 कि.मी. (डिज़ाइन चैनेज) पर मिलते हुए	6.250	
2.	रारा-7 पर 74.930 कि.मी. पर विरदू नगर जिले में एत्तूरवत्तम गांव के निकट।	वाणिविनयगार बाइपास 77.250 किमी से शुरू होकर 79.450 कि.मी. (पुराना चैनेज) पर मिलते हुए /85.300 कि.मी. से शुरू होकर और 87.100 कि.मी. (डिज़ाइन चैनेज) पर मिलते हुए	1.80	ऊपर सारिणी – 1 में उल्लिखित आधार दरों का 150 %
3.	रारा-7 पर 125.350 कि.मी. पर तूतिकोरन जिले में सलाईपुदूर गांव के निकट।	कयाथार बाइपास 120.000 कि.मी. से शुरू होकर 123.000 कि.मी. (पुराना चैनेज) पर मिलते हुए /126.900 कि.मी. से शुरू होकर और 130.600 कि.मी. (डिज़ाइन चैनेज) पर मिलते हुए	3.36 (60 मीटर से अधिक लम्बाई की संरचना को छोड़कर)	ऊपर सारिणी – 1 में उल्लिखित आधार दरों का 150 %
		तिरूनेलवेली बाइपास 142.000 किमी से शुरू होकर 160.000 कि.मी. (पुराना चैनेज) पर मिलते हुए /149.600 कि.मी. से शुरू होकर और 169.310 कि.मी. (डिज़ाइन चैनेज) पर मिलते हुए	19.49 (60 मीटर से अधिक लम्बाई की संरचना को छोड़कर)	

4.	रारा-7 पर 185.387 कि.मी. पर तिरूनेलवेली जिले में नांगुनेरी गांव के निकट।	वल्लियूर बाइपास 192.400 किमी से शुरू होकर 198.200 कि.मी. (पुराना चैनेज) पर मिलते हुए /200.300 कि.मी. से शुरू होकर और 206.600 कि.मी. (डिज़ाइन चैनेज) पर मिलते हुए	6.300	ऊपर सारिणी – 1 में उल्लिखित आधार दरों का 150 %
		कावलकिनारू बाइपास 209.250 किमी से शुरू होकर 210.950 कि.मी. (पुराना चैनेज) पर मिलते हुए /217.730 कि.मी. से शुरू होकर और 219.430 कि.मी. (डिज़ाइन चैनेज) पर मिलते हुए	1.700	
		अंजूग्रामम बाइपास 224.200 किमी से शुरू होकर 226.400 कि.मी. (पुराना चैनेज) पर मिलते हुए /231.450 कि.मी. से शुरू होकर और 234.975 कि.मी. (डिज़ाइन चैनेज) पर मिलते हुए	3.525	
		कन्याकुमारी बाइपास 226.400 किमी से शुरू होकर 231.600 कि.मी. (पुराना चैनेज) पर मिलते हुए /234.975 कि.मी. से शुरू होकर और 243.170 कि.मी. (डिज़ाइन चैनेज) पर मिलते हुए	7.645## (60 मीटर से अधिक लम्बाई की संरचना को छोड़कर)	

0.000 कि.मी. से 1.443 कि.मी. (1.443 कि.मी.) के अपूर्ण खंड के पूरा हो जाने के पश्चात व उसे रियायतग्राही को सौंपे जाने पर, मदुरै बाइपास के 14.350 कि.मी. के लिए शुल्क शोध्य और संदेय होगाः जिसमें नीचे पैरा 3 में उल्लिखित 0.405 कि.मी. की (60 मीटर से अधिक) संरचना भी शामिल है।

##238.840 कि.मी. से 239.390 कि.मी. (550 मीटर) के अपूर्ण खंड के पूरा हो जाने के पश्चात कन्याकुमारी बाइपास (234.975 कि.मी. से 243.170 कि.मी.) के 7.645 कि.मी. (0.550 कि.मी. लम्बाई की संरचना को छोड़कर) शुल्क शोध्य और संदेय होगा।

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है,) के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

क्रम सं.	शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं* की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिसपर शुल्क संदेय है
1.	रारा-7 पर 18.652 कि.मी. पर मदुरै जिले में कप्पालूर गांव के निकट।	0.506*	5.06	ऊपर सारिणी – 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100 %
2.	रारा-7 पर 74.930 कि.मी. पर विरदू नगर जिले में एत्तूरवत्तम गांव के निकट।	0.482**	4.82	ऊपर सारिणी – 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100 %
3.	रारा-7 पर 125.350 कि.मी. पर तूतिकोरन जिले में सलाईपुदूर गांव के निकट।	0.847***	8.47	ऊपर सारिणी – 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100 %
4.	रारा-7 पर 185.387 कि.मी. पर तिरूनेलवेली जिले में नांगुनेरी गांव के निकट।	0.650****	6.50	ऊपर सारिणी – 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100 %
	कुल	2.485	24.85	

*60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्रम सं.	**(डिजाइन चैनेज)**		**लम्बाई (कि.मी.)**	**संरचना का प्रकार**
(क)	2.698	3.102	0.405	मदुरै बाईपास पर संरचना
(ख)	50.964	51.066	0.101	सड़क पर संरचना
		योग	0.506	

**60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्रम सं.	**(डिजाइन चैनेज)**		**लम्बाई (कि.मी.)**	**संरचना का प्रकार**
(क)	69.914	70.080	0.167	सड़क पर संरचना
(ख)	76.160	76.240	0.079	सड़क पर संरचना
(ग)	78.668	78.904	0.236	सड़क पर संरचना
		योग	0.482	

***60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्रम सं.	**(डिजाइन चैनेज)**		**लम्बाई (कि.मी.)**	**संरचना का प्रकार**
(क)	127.390	127.510	0.120	**कयाथार बाइपास पर संरचना**

(ख)	129.564	129.784	0.220	**कयाथार बाइपास** पर संरचना
(ग)	131.123	131.213	0.090	सड़क पर संरचना
(घ)	138.915	139.111	0.197	सड़क पर संरचना
(ड.)	153.140	153.360	0.220	तिरूनेलवेली बाइपास **पर संरचना**
		योग	**0.847**	

****60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्रम सं.	**(डिजाइन चैनेज)**		**लम्बाई (कि.मी.)**	**संरचना का प्रकार**
(क)	196.850	196.950	0.100	सड़क पर संरचना
(ख)	238.840	239.390	0.550 #	कन्याकुमारी बाइपास पर संरचना ।
		योग	**0.65**	

238.840 कि.मी. से 239.390 कि.मी. (550 मीटर) के अपूर्ण खंड के पूरा हो जाने के पश्चात कन्याकुमारी बाइपास (234.975 कि.मी. से 243.170 कि.मी.) की निवल लम्बाई 7.645 कि.मी. सहित इस संरचना के लिए शुल्क शोध्य और संदेय होगा ।

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2018-19 के लिए मासिक पास की दर 255.00/- रूपए (दो सौ पचपन रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चैबीस घंटे
पचास और उससे अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

7. यात्रिक वाहन जो उसकी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के यांत्रिक वाहनों के लिए लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा उसे राजमार्ग के खण्ड के उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार हटा नहीं दिया जाता ।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त् वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

10. ऊपर सारिणी-1 में यथा – उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा पूरे किए गए खण्डों के आधार पर की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा और उसे अंग्रेज़ी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा ।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 2,108.00 करोड़ रुपए है [कप्पालूर टोल प्लाजा के लिए 453.38 करोड़ रुपए, एत्तूरवत्तम के लिए 556.54 करोड़ रुपए, सलाईपुदूर के लिए 550.47 करोड़ रुपए, नांगुनेरी के लिए 547.61 करोड़ रूपए है] वसूली की गई पूंजीगत लागत (12% की दर से संग्रहीत संचयी छूट प्राप्त राजस्व के आधार पर) 31.03.2017 को 296.54 करोड़ रुपए है [टोल प्लाजा कप्पालूर के लिए 52.17 करोड़ रुपए, एत्तूरवट्टम के लिए 70.44 करोड़ रूपए, सलाईपुदूर के लिए 93.03 करोड़ रुपए, नांगुनेरी के लिए 80.90 करोड़ रुपए है] । प्राधिकरण वसूल किए गए प्रयोक्ता शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकॉर्ड रखेगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा.सं. भाराराप्रा/13013/749/सीओ/ 17-18/जीसी-मदुरै-तिरूनूलवेली-पानागुडी-कन्याकुमारी बाइपास]

दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18 May, 2018

S.O. 2009(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 465(E), dated the 26th April, 2002, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government, has entrusted the stretch from kilometre 0.000 to kilometre 231.600 (Madurai to Kanyakumari Section) of National Highway No. 7, in the State of Tamil Nadu, to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) has framed the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, vide G.S.R. 838 (E) dated 05.12.2008 and amended vide G.S.R 950(E) dated 03.12.2010, G.S.R 15(E) dated 12.01.2011, G.S.R 756(E) dated 12.10.2011, GSR 778(E) dated 16.12.2013, G.S.R 26(E) dated 16.01.2014, G.S.R 831(E) dated 21.11.2014, G.S.R 220(E) dated 23.03.2015 and G.S.R 585(E) dated 08th June, 2016, G.S.R 1114 (E) dated 2nd December,2016 and G.S.R 248 (E) dated 14th March, 2017 for collection of fee for use of sections of national highways, permanent bridges, bypasses and tunnels;

And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 14 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) read with Rule (3) of the National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008, the Central Government by notification of the Government of India vide S.O. No. 2606 (E) dated 26th August, 2013 authorized the Concessionaire M/s Raima Toll Road Private Limited, having registered office at 410, Boomerang, Chandivali Farm Road, Near Chandivali Studio, Andheri East, Mumbai – 400072, Maharashtra, India (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), for the Operation & Maintenance of Madurai – Tirunelveli – Panagudi – Kanyakumari section from kilometre 0.000 – kilometre 231.600 (new chainage kilometre 0.000 – kilometre 243.170) (Authority has confirmed that due to increase of intermediate lengths on account of bypasses, realignments, etc, the new end chainage is now Km 243.170. However, the physical beginning and end of the entrusted stretch remains same) on National Highway No. 7, in the state of Tamil Nadu (hereinafter referred to as the "said section") on Operate, Maintain and Transfer (OMT) basis.

And whereas, the user fee collection has been taken over by NHAI from OMT Concessionaire w.e.f. 25.08.2016 (08:00 Hrs.). Subsequent to suspension of the tolling by Concessionaire, NHAI has been continuing the user fee

collection as per provisions in Concession Agreement / Fee Notification S.O. No. 2606 (E) dated 26.08.2013. However, after date of publication of this fee notification, NHAI shall collect user fee as per provisions under this fee notification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the said "Rules"), and in supersession of the notification number S.O. 2606 (E) dated 26.08.2013, the Central Government hereby levies the fee for the use of four lane Madurai – Tirunelveli – Panagudi – Kanyakumari section from kilometre 0.000 – kilometre 231.600 (new chainage kilometre 0.000 – kilometre 243.170) (Authority has confirmed that due to increase of intermediate lengths on account of bypasses, realignments, etc, the new end chainage is now Km 243.170. (hereinafter referred to as the "said section'), on the Type of Vehicles specified in column (1) at 100% of the rates specified in columns (2) (hereinafter referred to as "base rate") of Table 1 below for net road length of 176.67 km and for total equivalent length of structure (having more than 60 m length) of 24.85 km (having length of 2.485 km) and at 150% the base rate for total 64.015 km of net length of bypasses costing Rupees Ten crore or more and authorize the said Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee on and from the date of actual implementation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later;

TABLE 1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza:

S.No.	Location of Fee Plaza (Design chainage)	Influence Section (Design Chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
1	At Km 18.652 on NH-7 near village Kappalur in Madurai district	Km.0.000 to Km.52.300 of NH-7	31.599 [(excluding 0.506 Km. length of structures > 60m) and 20.195 Km. net length of Bypass Costing > Rs. 10 Crores]	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
2	At Km 74.930 on NH-7 near village Etturvattam in Virdhu Nagar district	Km 52.300 to km 116.500 of NH-7	61.918 [(excluding 0.482 Km. length of structures > 60m) and 1.80 Km. length of Bypass Costing > Rs. 10 Crores]	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
3	At Km 125.350 on NH-7 near village Salaipudhur in Tuticorin district	Km 116.500 to km 180.000 of NH-7	39.803 [(excluding 0.847 Km length of structures >60 m) and 22.85 Km. net length of Bypass Costing > Rs. 10 Crores]	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
4	At Km 185.387 on NH-7 near village Nanguneri in Tirunelvelli district	Km 180.000 to km 243.170 of NH-7	43.35 [(excluding 0.650 Km length of structures >60 m) and 19.07 Km. net length of Bypass Costing > Rs. 10 Crores]	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass(es) costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza(s) for net bypass(es) length specified for such Fee Plaza:

S.No.	Location of Fee Plaza(s) (chainage)	Name of the Bypass	Length (in km) and chainages (in km) of bypass for which additional fee is payable	Rate at which fee is payable
			Length (in Km.)	
1	At Km 18.652 on NH-7 near village Kappalur in Madurai district	Madurai Bypass taking off from BSM Section at km 426.600 and joining on M.K. Section at km 9.100 (Old Chainage) / taking off at 0.000 and joining at km 14.350 (Design Chainage)	13.945 # (excluding length of structure >60m)	150% of the base rates mentioned in Table-1 above
		Thirumangalam Bypass taking off at 9.100 and joining at km 14.850 (Old Chainage) / taking off at km 20.100 and joining at km 26.350 (Design Chainage)	6.250	
2	At Km 74.930 on NH-7 near village Etturvattam in Virdhu Nagar district	Vanivinayagar Bypass taking off at km 77.250 and joining at km 79.450 (Old Chainage) / taking off at km 85.300 and joining at km 87.100 (Design Chainage)	1.80	150% of the base rates mentioned in Table-1 above
3	At Km 125.350 on NH-7 near village Salaipudhur in Tuticorin district	Kayathar Bypass taking off at km 120.000 and joining at km 123.000 (Old Chainage) / taking off at km 126.900 and joining at km 130.600 (Design Chainage)	3.36 (excluding length of structure >60m)	150% of the base rates mentioned in Table-1 above
		Tirunelveli Bypass taking off at km 142.000 and joining at km 160.000 (Old Chainage) / taking off at km 149.600 and joining at km 169.310 (Design Chainage)	19.49 (excluding length of structure >60m)	
4	At Km 185.387 on NH-7 near village Nanguneri in Tirunelvelli district	Valliyoor Bypass taking off at km 192.400 and joining at km 198.200 (Old Chainage) / taking off at km 200.300 and joining at km 206.600 (Design Chainage)	6.300	150% of the base rates mentioned in Table-1 above
		Kavalkinaru Bypass taking off at km 209.250 and joining at km 210.950 (Old Chainage) / taking off at km 217.730 and joining at km 219.430 (Design Chainage)	1.700	
		Anjugramam Bypass taking off at km 224.200 and joining at km 226.400 (Old Chainage) / taking off at km 231.450 and joining at km 234.975 (Design Chainage)	3.525	
		Kannyakumari Bypass taking off at km 226.400 and joining at km 231.600 (Old Chainage) / taking off at km 234.975 and joining at km 243.170 (Design Chainage)	7.645 ## (excluding length of structure >60m)	

#After completion of incomplete stretch from km. 0.000 to 1.443 (1.443 km) and handover of the same to the Concessionaire fee shall be levied and collected for 14.350 km of Madurai Bypass which includes structure (> 60 m) of 0.405 km as mentioned in para 3 below.

After completion of incomplete stretch from km 238.840 to km 239.390 (550 metre) and fee shall be levied and collected for 7.645 km (excluding 0.550 km of structure length) of Kannyakumari bypass (from km 234.975 to km 243.170)

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

S.No.	Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road length (in km)	Rate at which fee is payable
1	At Km 18.652 on NH-7 near village Kappalur in Madurai district	0.506*	5.06	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
2	At Km 74.930 on NH-7 near village Etturvattam in Virdhu Nagar district	0.482**	4.82	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
3	At Km 125.350 on NH-7 near village Salaipudhur in Tuticorin district	0.847***	8.47	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
4	At Km 185.387 on NH-7 near village Nanguneri in Tirunelvelli district	0.650****	6.50	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
	Total	**2.485**	**24.85**	

*Details of structure having length more than 60m is as under:

S. No.	(Design Chainage)		Length (Km.)	Type of Structure
(i)	2.698	3.102	0.405	Structure on Madurai Bypass
(ii)	50.964	51.066	0.101	Structure on road
		Total	**0.506**	

**Details of structure having length more than 60m is as under:

S. No.	(Design Chainage)		Length (Km.)	Type of Structure
(i)	69.914	70.080	0.167	Structure on road
(ii)	76.160	76.240	0.079	Structure on road
(iii)	78.668	78.904	0.236	Structure on road
		Total	**0.482**	

***Details of structure having length more than 60m is as under:

S. No.	(Design Chainage)		Length (Km.)	Type of Structure
(i)	127.390	127.510	0.120	Structure on Kayathar Bypass
(ii)	129.564	129.784	0.220	Structure on Kayathar Bypass
(iii)	131.123	131.213	0.090	Structure on road
(iv)	138.915	139.111	0.197	Structure on road
(v)	153.140	153.360	0.220	Structure on Tirunelveli Bypass
		Total	**0.847**	

****Details of structure having length more than 60m is as under:

S. No.	(Design Chainage)		Length (Km.)	Type of Structure
(i)	196.850	196.950	0.100	Structure on road
(ii)	238.840	239.390	0.550 #	Structure on Kanyakumari Bypass
		Total	**0.65**	

 # After completion of incomplete stretch from km 238.840 to km 239.390 (550 metre) and fee shall be levied and collected for this structure along with net length of 7.645 km of Kannyakumari bypass (from km 234.975 to km 243.170)

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 255.00 (Rupees Two Hundred Fifty-Five only) for the year 2018-19 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

10. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

11. The capital cost of the project is Rupees 2,108.00 Crore [For Toll plaza Kappalur is Rs.453.38 Cr. , Etturvattam is Rs.556.54 Cr., Salaipudhur is Rs.550.47 Cr., Nanguneri is Rs.547.61 Cr.]. The recovered capital cost (based on commutative discounted revenue collected @12%) as on 31.03.2017 is Rs. 296.54 Cr. [For Toll plaza Kappalur is Rs.52.17 Cr., Etturvattam is Rs.70.44 Cr., Salaipudhur is Rs.93.03 Cr., Nanguneri is Rs.80.90 Cr.]. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/749/CO/17-18/GC- Madurai-Tirunelveli-Panagudi-Kanyakumari]
DAKSHITA DAS, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.05.22 17:56:41 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.